रेल दावा अधिकरण
पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/118/2020

पीठासीनः श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, भुवनेश्वर, सर्किट बेन्च, पटना

संस्थन की तिथिः 28.02.2020

निर्णय की तिथिः 25.10.2024

सत्यनारायण सिंह एवं अन्य
सभी निवासी ग्राम/मो0–टेका बिगहा,
पोस्ट–लखनपुरा, थाना–बख्तियारपुर,
जिला–पटना, बिहार, पिन 822120. .... याचीगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर .... उत्तरदाता

दावा राशि ₹ 8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः
याचीगण की ओर से– श्री संजीव कुमार, विद्वान अधिवक्ता–उपस्थित।
उत्तरदाता की ओर से–श्री राधिका रमण, विद्वान अधिवक्ता–उपस्थित।

निर्णय

श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय सदस्य (न्यायिक) :

1. याचीगण सत्यनारायण सिंह एवं अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत श्रीनिवाश कुमार की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार दिनांक 21.11.2019 को मृतक श्रीनिवास कुमार टेका बिगहा से पटना जंक्शन का द्वितीय श्रेणी टिकट संख्या 97774316 खरीदकर ट्रेन नं0 53231 अप तिलैया–दानापुर पैसेन्जर ट्रेन से यात्रा कर रहा था। यात्रा के क्रम में वह टेका बिगहा हाल्ट पर यात्रियों की धक्का मुक्की के कारण चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस संबंध में यु0डी0 केस सं0 49/19 दिनांक 21.11.2019 दर्ज किया गया। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में यात्रा टिकट प्राप्त होने का उल्लेख है।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि दावा आवेदन कानूनी रूप से एवं तथ्यों पर पोषणीय नहीं है। आवेदक को यह वाद दाखिल करने का कोई कारण नहीं है। प्रस्तुत दावा तथ्यहीन है, इसमें विरोधाभासी बयान हैं, ऐसे कथन हैं जो दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसलिए दावा आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। मृतक की स्वयं की लापरवाही से घटी घटना के लिए विपक्षी रेलवे जिम्मेवार नहीं है। जांच अधिकारी ने फाइनल रिपोर्ट में कथित ट्रेन से अचानक गिर जाने से मृत्यु होने का मामला बताया है। आवेदकगण मुआवजा का अधिकारी नहीं है। अतः याचीगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 21.06.2021 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

(1) क्या मृतक ट्रेन नं0 53231 का एक सदभावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम 1989 की धारा 123;ब्द्ध;2द्ध की परिधि के अन्तर्गत आती है?

(3) क्या आवेदक/आश्रितगण मृतक के आश्रित है?

(4) क्या आवेदक/आश्रितगण प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं और यदि हाँ तो कितना?

5. याचीगण की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में सत्यनारायण सिंह का शपथपत्र ए0डब्लू01 के रूप में, रविन्द्र कुमार का शपथपत्र ए0डब्लू02 के रूप में एवं रजनीश कुमार का शपथपत्र ए0डब्लू03 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से मेमो, आवेदन पत्र, यात्रा टिकट, एफ आई आर, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, डेडबॉडी चालान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शव प्राप्ति रसीद, फाइनल रिपोर्ट, आश्रितता प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, आवेदकगण का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक, की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डी आर एम रिपोर्ट की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02

दोनों वाद–बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। अतः उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

9. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि दिनांक 21.11.2019 को मृतक श्रीनिवास कुमार टेका बिगहा से पटना जंक्शन का द्वितीय श्रेणी टिकट संख्या 97774316 खरीदकर ट्रेन नं0 53231 अप तिलैया–दानापुर पैसेन्जर ट्रेन से यात्रा कर रहा था। यात्रा के क्रम में वह टेका बिगहा हाल्ट पर यात्रियों की धक्का मुक्की के कारण चलती ट्रेन से गिर गया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस संबंध में यु0डी0 केस सं0 49/19 दिनांक 21.11.2019 दर्ज किया गया। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में यात्रा टिकट प्राप्त होने का उल्लेख है।

10. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि याचीगण द्वारा जो टिकट प्रस्तुत किया गया है वह गलत एवं भ्रामक है। दावा आवेदन कानूनी रूप से एवं तथ्यों पर पोषणीय नहीं है। आवेदक को यह वाद दाखिल करने का कोई कारण नहीं है। प्रस्तुत दावा तथ्यहीन है, इसमें विरोधाभासी बयान हैं, ऐसे कथन हैं जो दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसलिए दावा आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। मृतक की स्वयं की लापरवाही से घटी घटना के लिए विपक्षी रेलवे जिम्मेवार नहीं है। जांच अधिकारी ने फाइनल रिपोर्ट में कथित ट्रेन से अचानक गिर जाने से मृत्यु होने का मामला बताया है। आवेदकगण मुआवजा का अधिकारी नहीं है। अतः याचीगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

11. पत्रावली पर उपलब्ध स्टेशन मेमो के अनुसार:–

कार्यरत स्टेशन मास्टर/टेका बिघा द्वारा सूचित किया गया कि टेका बिघा स्टेशन लिमिट में KM 502/23-25 पर UP तथा DN लाइनों के बीच एक पुरूष उम्र 30 वर्ष (लगभग) का शरीर जो मृत प्रतीत होता है, पड़ा हुआ है।

कृपया यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

12. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में रेलवे यात्रा टिकट नं0 97774316 दिनांक 21.11.19 का टेकाबिगहा हाल्ट से पटना जंक्शन तक का निर्गत किया हुआ प्राप्त होने का उल्लेख है। इसके साथ ही, गाड़ी सं0 53231 अप तिलैया–दानापुर पैसेन्जर चलती ट्रेन से गिरकर बुरी तरह जख्मी होने के कारण मृत्यु होना बताया गया है। इस प्रकार मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट से मृतक का सदभावी यात्री होना एवं अनपेक्षित घटना में उसकी मृत्यु होना दोनों स्पष्ट हो जाता है।

13. साक्षी सत्यनारायण सिंह, ए0डब्लू0 1 ने अपने शपथपत्र की पैरा 2 में कहा है–

यह कि यह अनपेक्षित घटना दिनांक 21.11.2019 की है, मेरा पुत्र टेका बिघा हॉल्ट से पटना जं0 तक का पैसेंजर टिकट लेकर तिलैया दानापुर पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहा था उसी क्रम में चलती ट्रेन से टेका बिघा स्टेशन पर ही गिर गया था जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी।

14. पुलिस फाइनल रिपोर्ट में मृतक की गाड़ी सं0 53231 अप तिलैया–दानापुर पैसेन्जर चलती ट्रेन से गिरकर बुरी तरह जख्मी होने के कारण मृत्यु होना दर्शाया गया है।

15. पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण *cardiorespiratory failure due to hypovolemic shock within 6 hrs* दर्शाया गया है।

16. डी आर एम रिपोर्ट के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट में टिकट सत्यापन का उल्लेख किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि टिकट संवेदक टेका बिघा सत्यप्रकाश से टिकट सत्यापन कराया टिकट संख्या 97774316 टेका बिघा से पटना जं0 का दिनांक 21.11.2019 का टेकाबिघा से जारी किया गया था। इस प्रकार मृतक का सदभावी यात्री होना पूर्णरूपेण सिद्ध हो जाता है।

17. पत्रावली पर उपलब्ध डी आर एम रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार–

जांच में पाये गये साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतक श्रीनिवाश कुमार उम्र 22 वर्ष पे0 सत्य नारायण सिंह सा0 टेकाबिघा था0 बख्तियारपुर जिला पटना के पास से एक रेल यात्रा टिकट सं0 97774316 टेकाबिघा से पटना जं0 दिनांक 21.11.2019 का पाया गया, जिसका सत्यापन कराने पर टेकाबिघा स्टेशन से दिनांक 21.11.2019 का पाया गया, परन्तु संलग्न टिकट की छायाप्रति पर दिनांक 16.11.2019 अंकित पाया गया। घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मृतक की मृत्यु अनाधिकृत रूप से घटनास्थल पर ट्रैक पार करने के क्रम में किसी चलती गाड़ी के चपेट में आने से हुई है। अत उपरोक्त परिस्थिति में रेल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। घटना रेल अधिनियम की धारा 123 की उप धारा (ग) में परिभाषित अनापेक्षित घटना में वर्णित परिस्थितियों में घटित नहीं हुई है।

डीआरएम रिपोर्ट मे उक्त यात्रा टिकट को बाद सत्यापन टेका बिघा से पटना जंक्शन का दिनाक 21.11.2019 को जारी होना पाया है एवं उक्त टिकट की छायाप्रति पर दिनांक 16.11.2019 अंकित होने का उल्लेख किया है। पत्रावली पर टेका बिघा हाल्ट स्टेषन के ऐजेंट का प्रमाण पत्र संलग्न है जिसमें उसके द्वारा उक्त टिकट दिनाक 21.11.2019 को टेका बिघा कॉउटर से उक्त टिकिट जारी होने की माना है। इस प्रकार मृतक का सदभावी यात्री होना सबित है। मृतक के कथितरूप से ट्रैन से गिरने के संबंध मे कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने के कारण प्रकरण का निर्णय परिसिथितयों के आधार पर किया जाना है। प्रकरण में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, पुलिस अंतिम रिपोर्ट में मृतक का उक्त यात्री गाडी से गिरने का उल्लेख किया है व घटना के नक्से मौकें में मृतक का

शव रेलवे ट्रैक के बगल में मिला है। विपक्षी रेलवे द्वारा उक्त साक्ष्य के विपरीत कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किये है। उक्त स्थिति में मृतक की ट्रैन से गिरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

18. Union of India Vs. Prabhakaran Vijaya Kumar (2008) 9 SCC 527 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि

"If we adopt a restrictive meaning to the expression "accidental falling of a passenger from a train carrying passengers" in Section 123(c) of the Railways Act, we will be depriving a large number of railway passengers from getting compensation in railway accidents. It is well known that in our country there are crores of people who travel by railway trains since everybody cannot afford travelling by air or in a private car. By giving a restrictive and narrow meaning to the expression we will be depriving a large number of victims of train accidents (particularly poor and middle class people) from getting compensation under the Railways Act. Hence, in our opinion, the expression "accidental falling of a passenger from a train carrying passengers" includes accidents when a bona fide passenger i.e. a passenger travelling with a valid ticket or pass is trying to enter into a railway train and falls down during the process. In other words, a purposive and not literal interpretation should be given to the expression."

19. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन के उपरान्त प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस में कोई बल नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह तथ्य पूर्णरूपेण साबित होता है कि घटना के समय मृतक ट्रेन का सद्भावी यात्री था एवं मृतक की मृत्यु अनपेक्षित घटना की परिभाषा में आती है। अतः वाद बिन्दु 1 एवं 2 तदनुसार सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

<u>वाद बिन्दु संख्या 03</u>

20. विचारणीय है कि मृतक के आश्रित कौन–कौन हैं। याचीपक्ष की ओर से मुखिया, ग्राम पंचायत घोसवरी द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि श्रीनिवास कुमार अविवाहित थे। इस प्रमाणपत्र में मृतक के परिवार के सदस्यों के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें सत्यनारायण सिंह (मृतक का पिता), देवन्ती देवी (मृतक की माता) एवं निकु कुमार (मृतक का भाई) ने नाम का उल्लेख है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचीगण का कथन पूर्णतः सिद्ध है। अतः सत्यनारायण सिंह (मृतक का पिता) एवं देवन्ती देवी (मृतक की माता), ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के प्रकाष में मृतक के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः यह वाद बिन्दु भी तद्नुसार याचीगण के पक्ष में विनिष्चित किया जाता है।

<u>वाद बिन्दु संख्या 04</u>

21. यह वाद बिन्दु उपशम ;बवउचमदेंजपवदद्ध की राशि से संबंधित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संषोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>आदेश</u>

22. याचीगण का आवेदन पत्र कुल ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तद्नुसार याचीगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगे:–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	सत्यनारायण सिंह	पिता	59	₹4,00,000	₹40,000	₹3,60,000
2.	देवन्ती देवी	माता	67	₹4,00,000	₹40,000	₹3,60,000

23 प्रतिवादी रेलवे को निर्देषित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराषि ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक, पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराषि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिषत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराषि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराषि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पष्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(इ) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराषि में से कुल ₹80,000/- (अस्सी हजार रूपये मात्र) एवं प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उसके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराषि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेषित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ब) याचीगण को यह निर्देष दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस

न्यायाधिकरण के अपर निबंधक, पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध करायें। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(क) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचीगण के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(म) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(ग) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(ह) बैंक प्रत्येक याची की पासबुक पर इस आषय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवष्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देष दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

24. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याची को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात फाइल को दाखिल दफ्तर किया जाये।

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भुवनेश्वर
सर्किट बेन्च, पटना
दिनांक 25.10.2024